



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2008/वैशाख 19, 1930

No. 171]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2008/VAISAKHA 19, 1930

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II).—
भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड 1 (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर, दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति (डब्ल्यूआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा 3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :-

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और संघ राज्य क्षेत्र दादर व नागर हवेली और दमन व दीव को शामिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया जाता है :-

- (i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।
- (ii) केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) तथा वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (डब्ल्यूआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि।
- (iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर

(एसएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियाँ तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।

- (iv) क्षेत्र के प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र में उत्पादन/पारेषण/विजली के वितरण से जुड़ी कंपनियों से संबंधित संघशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।
- (v) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मे. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।
- (vi) उत्पादन कंपनियाँ जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल न हो] पावर प्लांट-हो, का अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।
- (vii) उस क्षेत्र के विजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।
- (viii) सदस्य सचिव, डब्ल्यूआरपीसी-संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

आई. सी. पी. केशरी, संयुक्त सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II).—

भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 1, खण्ड 1 (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर, दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा 3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :-

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की पूर्वोक्त क्षेत्र विद्युत समिति का गठन किया जाता है :-

- (i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।
- (ii) केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) तथा नार्थ-ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनईआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि।
- (iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियाँ तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।
- (iv) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मे. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।
- (v) उत्पादन कंपनियाँ जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल न हो] पावर प्लांट हो, का अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।

- (vi) उस क्षेत्र के विजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।
- (vii) सदस्य सचिव, एनईआरपीसी-संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

आई. सी पी. केशरी, संयुक्त सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II).—

भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड I (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति (एसआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा 3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को शामिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को पूर्वोक्त क्षेत्र विद्युत समिति का गठन किया जाता है :-

- (i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।
- (ii) केंद्रीय उत्पादन कम्पनियों, केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) तथा सदर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (एसआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि।
- (iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।

- (iv) क्षेत्र के प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र में उत्पादन/पारेषण/बिजली के वितरण से जुड़ी कंपनियों से संबंधित संघशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।
- (v) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केंद्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियां) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मै. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।
- (vi) उत्पादन कंपनियां जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल न हो] पावर प्लांट हो, का अल्फावेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।
- (vii) उस क्षेत्र के बिजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।
- (viii) सदस्य सचिव, एसआरपीसी-संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

आई. सी. पी. केशरी, संयुक्त सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II).—

भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 1, खण्ड 1 (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं: —

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा-3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :-

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल एवं संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को शामिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया जाता है :-

- (i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।
- (ii) केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटोयू), नेशनल लोड डिस्चैज सेंटर (एनएलडीसी) तथा वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्चैज सेंटर (एनआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि।
- (iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटोयू), राज्य लोड डिस्चैज सेंटर (एचएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।
- (iv) क्षेत्र के प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र में उत्पादन/पारेषण/बिजली के वितरण से जुड़ी कंपनियों से संबंधित संघशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।
- (v) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियां) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मै. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।
- (vi) उत्पादन कंपनियां जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (v) में शामिल न हो] पावर प्लांट हो, का अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।
- (vii) उस क्षेत्र के बिजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।
- (viii) सदस्य सचिव, एनआरपीसी-संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों(सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

संकल्प

नई दिल्ली, 9 मई, 2008

फा. सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-II).— भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खण्ड 1 (1596 जी आई/2005) में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं. 23/1/2004-आर एण्ड आर दिनांक 25 मई, 2005 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के प्रावधानों के अंतर्गत 29 नवम्बर, 2005 को गठित पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (ईआरपीसी) में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

संकल्प दिनांक 29-11-2005 के पैरा 3 को पैरा 3 के द्वारा निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :—

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार द्वारा बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को शामिल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की पूर्व क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया जाता है :—

- (i) सदस्य (ग्रिड संचालन) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।
- (ii) केन्द्रीय उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) तथा ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (ईआरएलडीसी) प्रत्येक कार्यालय से एक प्रतिनिधि।
- (iii) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एचएलडीसी) राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां तथा उस क्षेत्र में कार्यरत निजी वितरण कंपनियों में से अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी, प्रत्येक से एक सदस्य।
- (iv) प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियां) जिसकी क्षेत्र में स्थापित क्षमता 1000 मै. वा. से अधिक हो, से एक प्रतिनिधि।

- (v) उत्पादन कंपनियां जिसके उस क्षेत्र में [उपरोक्त (ii) से (iv) में शामिल न हो] पावर प्लांट हो, का अल्फाबेटिकल रोटेशन द्वारा एक प्रतिनिधि।
- (vi) उस क्षेत्र के बिजली ट्रेडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनका गत वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट का ट्रेडिंग वोल्यूम हो, से रोटेशन द्वारा एक सदस्य।
- (vii) सदस्य सचिव, ईआरपीसी संयोजक।

जहां किसी सदस्य का रोटेशन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संबंधित संगठन का प्रतिनिधि या तो संगठन का अध्यक्ष हो या कंपनी के बोर्ड कारपोरेट इकाई के निदेशक के स्तर से कम न हो, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक स्तर तक का भी हो सकता है।

आई. सी. पी. केशरी, संयुक्त सचिव